



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2015/भाद्र 6, 1937

No. 292]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2015/BHADRA 6, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 24 अगस्त, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.ग्रा./विनियम/13/103/2015.— बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 32बी और 32सी के साथ पठित धारा 114ए (2) (आईडी) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित धारा 14(2)(पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ:

- 1.1 ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे।
- 1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण या सामाजिक सेक्टर के बारे में बीमाकर्ता के दायित्व) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करेंगे।
- 1.3 इन विनियमों में उल्लिखित दायित्व वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू होंगे। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण या सामाजिक सेक्टर के बारे में बीमाकर्ता के दायित्व) विनियम, 2002 के अनुसार दायित्व लागू होंगे।
- 1.4 भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के लिए उनके व्यवसाय के स्वरूप के कारण ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्वों के रूप में व्यवसाय के कोई विशिष्ट प्रतिशत विनिर्दिष्ट नहीं किये गये हैं।

2 परिभाषाएँ –

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

- 2.1 "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

2.2 "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

2.3 "ग्रामीण क्षेत्र" से नवीनतम उपलब्ध दशवार्षिक जनसंख्या की गणना (भारत की जनगणना) संचालित करते समय "ग्रामीण" के रूप में वर्गीकृत स्थान अथवा क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

2.4 "सामाजिक क्षेत्र" के अंतर्गत दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, आर्थिक रूप से कमजोर अथवा पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के व्यक्ति शामिल हैं;

2.5 "असंगठित क्षेत्र" के अंतर्गत स्वनियोजित श्रमिक शामिल हैं, जैसे खेतिहार मजदूर, बीड़ी मजदूर, ईट-भट्टी मजदूर, बढ़ई, मोची, निर्माण श्रमिक, मछुए, हमाल, हस्तशिल्प कारीगर, हथकरघा और खादी श्रमिक, महिला टेलर, चर्म और चर्मशोधन मजदूर, पापड़ निर्माता, बिजलीकरघा मजदूर, विकलांग स्वनियोजित व्यक्ति, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, नमक उत्पादक, रेशम-उत्पादन मजदूर, गन्ना काटनेवाले श्रमिक, तेंदू पत्ता संग्राहक, ताड़ी निकालनेवाले, साग-भाजी विक्रेता, धोबिने, पहाड़ों पर श्रमिक महिलाएँ, दिहाड़ी मजदूर, किराये पर कार्यरत ड्राइवर और कुली अथवा ऐसी अन्य श्रेणियों के व्यक्ति;

2.6 "आर्थिक रूप से कमजोर अथवा पिछड़े वर्ग" से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं;

2.7 "अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों" के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में यथापरिभाषित अशक्तता से युक्त व्यक्ति शामिल हैं और ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो लाभकारी रूप में नियुक्त न किये गये हों; तथा ऐसे अभिभावक भी इनमें सम्मिलित हैं जिन्हें मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों अथवा अशक्तता से युक्त व्यक्तियों का संरक्षण करने के लिए बीमे की आवश्यकता हो;

2.8 "अनौपचारिक क्षेत्र" में लघु मान के, स्वनियोजित व्यक्ति शामिल हैं जो विशिष्ट रूप से संगठन और प्रौद्योगिकी के तौर पर निम्न स्तर पर हैं, तथा यह क्षेत्र रोजगार और आय उत्पन्न करने के प्राथमिक उद्देश्य से युक्त है और इसके अंतर्गत बहुविधि कार्यकलाप शामिल हैं, जैसे खुदरा व्यापार, परिवहन, मरम्मत और रखरखाव, निर्माण, वैयक्तिक और घरेलू सेवाएँ और विनिर्माण। यह क्षेत्र अधिकांशतः श्रम-प्रधान कार्य से युक्त है तथा इसमें प्रायः अलिखित और अनौपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध निहित है;

2.9 इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा बीमा नियम, 1939 अथवा उनके अधीन जारी किये गये किन्हीं अन्य विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3 दायित्व

3.1 प्रत्येक बीमाकर्ता जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ के बाद बीमा व्यवसाय प्रारंभ करता है, समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 32वीं और 32सी के प्रयोजनों के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि वह यहाँ इन विनियमों में निर्दिष्ट वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों के व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित दायित्व स्वीकार करता है-

(क) ग्रामीण क्षेत्र

(क) जीवन बीमाकर्ता के संबंध में, नीचे दर्शाये गये संबंधित वर्षों में लिखित पॉलिसियों की कुल संख्या के निम्नलिखित प्रतिशत।

| क्रम सं. | प्रारंभ से वित्तीय वर्ष | पॉलिसियों की संख्या का प्रतिशत |
|----------|-------------------------|--------------------------------|
| i | पहला वर्ष | 7% |
| ii | दूसरा वर्ष | 9% |
| iii | तीसरा वर्ष | 12% |

| | | |
|------|--------------------------------------|-----|
| iv | चौथा वर्ष | 14% |
| v | पाँचवाँ वर्ष | 16% |
| vi | छठवाँ और सातवाँ वर्ष | 18% |
| vii | आठवाँ और नौवाँ वर्ष | 19% |
| viii | दसवाँ वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वर्ष | 20% |

(ख) साधारण बीमाकर्ता के संबंध में, नीचे दर्शाये गये संबंधित वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से लिखित सकल प्रीमियम आय का प्रतिशत

| क्रम सं. | प्रारंभ से वित्तीय वर्ष | प्रत्यक्ष लिखित सकल प्रीमियम का प्रतिशत |
|----------|--------------------------------------|---|
| i | पहला वर्ष | 2% |
| ii | दूसरा वर्ष | 3% |
| iii | तीसरे वर्ष से सातवें वर्ष तक | 5% |
| iv | आठवाँ वर्ष | 6% |
| v | नौवाँ वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वर्ष | 7% |

(ग) स्टैंडबलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के संबंध में

(i) साधारण बीमाकर्ताओं के लिए निर्धारित दायित्वों का 50%

(ख) सामाजिक क्षेत्र

सभी बीमाकर्ताओं (जीवन, जैर-जीवन, स्टैंडबलोन स्वास्थ्य) के संबंध में :

| बीमाकर्ता की अवधि वर्षों में | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल व्यवसाय पर संगणित "सामाजिक क्षेत्र जीवनों का प्रतिशत" |
|------------------------------|---|
| 1 | 0.5% |
| 2 | 1% |
| 3 | 1.5% |
| 4 | 2% |
| 5 | 2.5% |
| 6 | 3% |
| 7 | 3.5% |
| 8 | 4% |
| 9 | 4.5% |
| 10 और उससे अधिक | 5% |

(टिप्पणी: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए कुल व्यवसाय, वैयक्तिक बीमे के मामले में जारी की गई पॉलिसियों की कुल संख्या और सामूहिक बीमे के मामले में बीमा रक्षा प्राप्त जीवनों की संख्या है। पारिवारिक सदस्यों के जीवनों को समाविष्ट करनेवाली वैयक्तिक

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के मामले में, ऐसी पॉलिसी में बीमा रक्षा प्राप्त जीवनों को दोनों लक्ष्य के निर्धारण एवं वास्तविक कार्यनिष्पादन के अंतर्गत हिसाब में लिया जा सकता है।

बशर्ते कि उन मामलों में जहाँ बीमाकर्ता परिचालन वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में प्रारंभ करता है तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार छह महीने से कम अवधि के लिए परिचालन में हैं, वहाँ (i) उपर्युक्त अवधि के लिए कोई भी ग्रामीण और सामाजिक दायित्व लागू नहीं होंगे, और (ii) विनियमों में निर्दिष्ट रूप में वार्षिक दायित्वों की गणना अगले वित्तीय वर्ष से की जाएगी जो इन विनियमों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए परिचालनों के पहले वर्ष के रूप में माना जाएगा। तथापि, उन मामलों में जहाँ बीमाकर्ता परिचालन वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में प्रारंभ करता है, वहाँ वह वित्तीय वर्ष परिचालनों के पहले वर्ष के रूप में माना जाएगा तथा पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व सामाजिक क्षेत्र के लिए 2500 जीवन होंगे। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र के लिए दायित्व पहले वर्ष के लिए निर्धारित प्रतिशत का आधा होंगे।

4 विनियम 3 के लिए लागू टिप्पणियाँ

- 4.1 सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में विनियम 3 में उल्लिखित शब्द 'जीवन' का आशय वर्ष के दौरान नये बीमाकृत मानव जीवनों से है तथा यह आवश्यक है वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में चालू रहें। फसल बीमे के संबंध में बीमा रक्षा प्राप्त वैयक्तिक लाभार्थियों/किसानों के जीवनों को सामाजिक दायित्वों के लिए माना जा सकता है।
- 4.2 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्वों की गणना करते समय पुनर्बीमा प्रीमियम को शामिल नहीं किया जाएगा।
- 4.3 सरकार से सभिसडी प्राप्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित व्यवसाय को, जहाँ कुल प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों के लिए नहीं माना जाएगा। यह उपबंध केवल वित्तीय वर्ष 2017-18 से ही प्रभावी होगा, यद्यपि इन विनियमों में निर्धारित दायित्वों की समग्र प्रयोज्यता वित्तीय वर्ष 2016-17 से है, जैसा कि विनियम 1.3 में बताया गया है।

(स्पष्टीकरण: उपर्युक्त प्रयोजन के लिए सरकार से सभिसडी प्राप्त सामाजिक सुरक्षा योजना वह है, जहाँ बीमा रक्षा प्राप्त सदस्यों/लाभार्थियों से किसी अंशदान के बिना संपूर्ण प्रीमियम का अभिदान सरकार द्वारा किया जाता है)

- 4.4 प्राथिकरण समय-समय पर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दायित्वों को निर्धारित अथवा संशोधित कर सकता है।

5 अनुपालन

- 5.1 जारी की गई सूक्ष्म बीमा पॉलिसियाँ सामाजिक क्षेत्र संबंधी दायित्वों के लिए गणना करने के लिए पात्र हैं।
 - 5.1.1 जहाँ सूक्ष्म बीमा पॉलिसी किसी ग्रामीण क्षेत्र में जारी की जाती है, वहाँ ऐसी सूक्ष्म बीमा पॉलिसियों की गणना दोनों ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों के लिए अलग से की जा सकती है।
- 5.2 प्रत्येक बीमाकर्ता इन विनियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के प्रति व्यावसायिक दायित्वों के सभी वर्गीकरण के लिए प्रभावी परिचालनगत प्रक्रियाओं की व्यवस्था करेगा।
- 5.3 प्रत्येक बीमाकर्ता इन विनियमों के संदर्भ में पूरे किये गये दायित्वों का वास्तविक व्यावसायिक विवरण देते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 90 दिन के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रधान अधिकारी द्वारा एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

6 विवरणियों की प्रस्तुति

- 6.1 प्रत्येक बीमाकर्ता समय-समय पर यथा संशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राथिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 के अधीन प्रस्तुत की जानेवाली वित्तीय विवरणियों के भाग के रूप में इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति दायित्वों के संबंध में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा उपर्युक्त वर्ष के दौरान प्राप्त अनुपालन के स्तर को प्रकट करेगा। ऐसी सूचना 'लेखों पर टिप्पणियों' (नोट्स टू दी एकाउण्ट्स) का भाग बनेगा।
- 6.2 कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार
7. इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाइ को दूर करने के लिए प्राथिकरण का अध्यक्ष जब भी आवश्यक समझा जाएगा तब उपर्युक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/ असा./161/15]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, the 24th August, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015

F. No. IRDAI/Reg/13/103/ 2015.—In exercise of the powers conferred by Section 114A (2) (id) read with Sections 32B and 32C of the Insurance Act, 1938 and Section 14(2)(p) read with Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations.

1. Short title, applicability and commencement

- 1.1 These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015.
- 1.2 They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette and shall supersede the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations, 2002.
- 1.3 The obligations stated in these regulations shall be applicable from financial year 2016-17. Upto Financial year 2015-16 the obligations as per Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations, 2002 as amended from time to time shall apply.
- 1.4 No specific percentages of business have been specified as Rural and Social Sector Obligations to Agriculture Insurance Company of India Limited and Export Credit Guarantee Corporation of India owing to the nature of their business.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires—

- 2.1 “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- 2.2 “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.
- 2.3 “Rural Sector” means the places or areas classified as “rural” while conducting the latest available decennial population census (Census of India);
- 2.4 “Social Sector” includes unorganised sector, informal sector, economically vulnerable or backward classes and other categories of persons, both in rural and urban areas;
- 2.5 “Unorganised Sector” includes self-employed workers such as agricultural labourers, bidi workers, brick kiln workers, carpenters, cobblers, construction workers, fishermen, hamals, handicraft artisans, handloom and khadi workers, lady tailors, leather and tannery workers, papad makers, power loom workers, physically handicapped self-employed persons, primary milk producers, rickshaw pullers, safaikaramcharis, salt growers, sericulture workers, sugarcane cutters, tendu leaf collectors, toddy tappers, vegetable vendors, washerwomen, working women in hills, daily wagers , hired drivers and coolies or such other categories of persons;
- 2.6 “Economically Vulnerable or Backward Classes” means persons who live below the poverty line;
- 2.7 “Other Categories of Persons” includes persons with disability as defined in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights, and Full Participation) Act, 1995 and who may not be gainfully employed; and also includes guardians who need insurance to protect spastic persons or persons with disability;
- 2.8 “Informal Sector” includes small scale, self-employed workers typically at a low level of organisation and technology, with the primary objective of generating employment and income, with heterogeneous activities like retail trade, transport, repair and maintenance, construction, personal and domestic services and manufacturing, with the work mostly labour intensive, having often unwritten and informal employer-employee relationship;
- 2.9 All words and expressions used herein and not defined herein but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 as amended from time to time or in the Insurance Rules, 1939 or any other Regulations issued there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

3. Obligations

- 3.1 Every insurer, who begins to carry on insurance business after the commencement of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, for the purposes of Sections 32B and 32C of the

Insurance Act,1938 as amended from time to time, shall ensure that it undertakes the following obligations, during the financial years indicated herein, pertaining to the persons in—

(A) Rural Sector

- (a) **In respect of a Life Insurer the following percentages of the total number of policies written in the respective years shown below:**

| Sr No | Financial year from inception | Percentage of number of policies |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|
| i | First year | 7% |
| ii | Second year | 9% |
| iii | Third year | 12% |
| iv | Fourth year | 14% |
| v | Fifth year | 16% |
| vi | Sixth and seventh year | 18% |
| vii | Eighth and ninth year | 19% |
| viii | Tenth year and every year thereafter | 20% |

- (b) **In respect of a General Insurer, the percentage of gross premium income written direct in the respective years shown below:**

| Sr. No | Financial year from inception | Percentage of gross premium written direct |
|--------|--------------------------------------|--|
| i | First year | 2% |
| ii | Second year | 3% |
| iii | Third year to Seventh year | 5% |
| iv | Eighth year | 6% |
| v | Ninth year and every year thereafter | 7% |

- (c) **In respect of Standalone Health Insurers**

- (i) 50% of the obligations prescribed for General Insurers

(B) Social Sector

In respect of all Insurers (Life, Non-Life, Standalone Health):

| Age of the Insurer in years | “Percentage of Social Sector lives” computed on the total business procured in the preceding financial year |
|-----------------------------|---|
| 1 | 0.5% |
| 2 | 1% |
| 3 | 1.5% |
| 4 | 2% |
| 5 | 2.5% |
| 6 | 3% |
| 7 | 3.5% |
| 8 | 4% |
| 9 | 4.5% |
| 10 and above | 5% |

(Note: Total business for the purpose of these regulations is the total number of policies issued in case of individual insurance and number of lives covered in case of Group Insurance. **In case of individual health insurance policies covering the lives of family members, the lives covered under such policy may be taken into account both in determination of target as well as actual performance)**

Provided that in cases where an Insurer commences operations in the second half of the financial year and is in operations for less than six months as at 31st March of the relevant financial year, (i) no rural and social sector Obligations shall be applicable for the said period, and (ii) the annual obligations as indicated in the Regulations shall be reckoned from the next financial year which shall be considered as the first year of operations for the purpose of compliance to this regulations. However, in cases where an Insurer commences operations in the first half of the financial year, that financial year shall be treated as the first year of operations and the applicable obligations for the first year shall be 2500 lives for Social Sector. Similarly the obligations for Rural Sector shall be half of the percentage prescribed for the first year.

4. Notes applicable to Regulations 3

- 4.1 The term 'lives' referred to in Regulations 3 in respect of all Insurers refers to human lives newly insured during the year and should have remained in force as at the end of each financial year. With regard to Crop Insurance, the lives of individual beneficiaries/farmers covered may be considered for social sector obligations.
- 4.2 Re-insurance premium shall not be included while calculating the obligations of the insurers in respect of the Rural and Social Sectors.
- 4.3 Business pertaining to Government subsidized social security schemes where total premium is paid by the Government will not be considered for the rural and social sector obligations. This provision shall be effective only from financial year 2017-18 though the overall applicability of the obligations prescribed in these regulations is from Financial year 2016-17 as stated in Regulation 1.3.

(Explanation: Government subsidized social security scheme for the above purpose is where the full premium under the scheme is subscribed by the Government without any contribution from the members/beneficiaries covered)

- 4.4 The Authority may prescribe or revise the obligations specified in these Regulations from time to time.

5. Compliance

- 5.1 Micro insurance policies issued are eligible to be reckoned for the social sector obligations.
- 5.1.1 Where a micro insurance policy is issued in a rural area, such micro insurance policies may be reckoned for both rural and social sector obligations separately.
- 5.2 Every Insurer shall put in place effective operational procedures for accurate classification of the business obligations into the Rural Sector and Social Sector as per these Regulations.
- 5.3 Every Insurer shall furnish an annual certificate by the Chief Executive Officer or the Principal Officer within ninety days from the end of the Financial Year submitting the actual business details of the obligations fulfilled towards these Regulations.

6. Submission of Returns

- 6.1 Every insurer shall submit a return, as part of the financial returns to be submitted under the Insurance Regulatory and Development Authority(Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 as modified from time to time, the Rural and Social Sector obligations specified under these Regulations and disclose the level of compliance achieved during the said year. Such reporting shall form part of the 'Notes to the Accounts'.

POWER TO REMOVE DIFFICULTIES AND ISSUE CLARIFICATIONS

- 7 In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as and when deemed necessary.

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT. III /4/Exty./161/15]